प्रेस विज्ञप्ति
03.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म पैरिमैच के संबंध में चल रही जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 02.09.2026 को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी की जांच मुंबई के साइबर पुलिस थाने द्वारा पैरिमैच डॉट कॉम के विरुद्ध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से ठगने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। जांच में पता चला है कि इस प्लेटफॉर्म ने उपयोगकर्ताओं को अधिक रिटर्न का लालच देकर एक वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अर्जित की।

जांच में पैरिमैच बेटिंग नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न धनराशि को रूट करने और उसका धन शोधन करने के लिए बहु-स्तरीय तंत्र का पता चला है। बेटिंग से प्राप्त धनराशि को प्रारंभ में कई म्यूल खातों के माध्यम से रूट किया गया, जिनमें मर्चेंट खातों के रूप में खोले गए खाते भी शामिल थे और इसके बाद इसे देखने में वैध वित्तीय एवं वाणिज्यिक माध्यमों के जरिए लेयरिंग की गई। जांच में यह भी पता चला कि बेटिंग से प्राप्त धनराशि की लेयरिंग के लिए कैश मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) एजेंटों का इस्तेमाल किया गया। मर्चेंट/म्यूल खातों में प्राप्त धनराशि को सीएमएस/डीएमटी से जुड़े खातों में रूट किया गया, जहां बैंकिंग धनराशि ने वैध नकद संग्रह चक्र का स्थान ले लिया, जबकि उसके समतुल्य भौतिक नकदी बेटिंग नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई। इसके बाद इस नकदी को हवाला/क्रिप्टो ऑपरेटरों के माध्यम से यूएसडीटी में परिवर्तित किया गया और ऑफशोर पैरिमैच नेटवर्क द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित किया गया। पैरिमैच नेटवर्क से उत्पन्न धनराशि को भुगतान मध्यस्थों के माध्यम से भारतीय टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के बैंक खातों में रूट किया गया, जबकि इसके अनुरूप कोई सेवाएं प्रदान नहीं की गईं। इन बैंकिंग क्रेडिट का उपयोग विदेशी ग्राहकों द्वारा कथित रूप से टूर ऑपरेटरों को देय राशि का निपटान करने के लिए किया गया, जबकि संबंधित राशि पैरिमैच के संचालकों द्वारा भारत के बाहर ऐसे ग्राहकों से भौतिक नकदी के रूप में एकत्र की गई। ऐसे दो टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के माध्यम से कम से कम 200 करोड़ रुपये के लेन-देन को रूट किया गया।

शामिल एक समानांतर तंत्र के माध्यम से, जिसमें दिखावटी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) लेन-देन और सेवाओं के फर्जी आयात शामिल थे, सट्टे से प्राप्त धनराशि की लेयरिंग की गई और उसे विदेश भेजा गया। इन माध्यमों से 500 करोड़ रुपये की राशि रूट की गई। इन धन प्रेषणों को ओडीआई के लिए दिखावटी मूल्यांकन रिपोर्ट और काल्पनिक फॉर्म 15सीए/15सीबी दस्तावेजों का समर्थन प्राप्त था, जबकि अंतर्निहित लेन-देन में वास्तविक वाणिज्यिक आधार का अभाव था।

ईडी की जांच में म्यूल और मर्चेंट खातों, सीएमएस और डीएमटी एजेंटों, टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों, घरेलू संस्थाओं, ऑफशोर निवेश संरचनाओं, हवाला ऑपरेटरों और क्रिप्टो माध्यमों का एक जटिल नेटवर्क सामने आया है, जिसका कथित रूप से अवैध ऑनलाइन बेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न धनराशि की लेयरिंग, उसे छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया गया।

तलाशी के दौरान 2.11 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां जब्त की गईं, जिनमें 61 लाख रुपये (लगभग) की नकदी, 1 किलोग्राम की एक सोने की बार तथा विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, 37 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई है। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक 150 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्तियां फ्रीज/जब्त की जा चुकी हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।